CNR No.-UPFR010012732026

न्यायालय सेशन न्यायाधीश फर्रूखाबाद।
आपराधिक प्रकीर्णवाद संख्या-936/2026
जाबिर हुसैन उर्फ सद्दाम हुसैन बनाम जयदेव कुमार एवं उ०प्र०राज्य
दिनांकः **06.08.2026**

1- पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। धारा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र 3 ए एवं आपत्ति पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

2- प्रार्थनापत्र 3 ए अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम मय शपथपत्र, आवेदक द्वारा मुख्यतः इस आशय से दिया गया है कि उसने जो अधिवक्ता नियुक्त किया, बाद में पता चला कि वे दीवानी के मुकदमे लडते हैं इसलिए आवेदक ने दिनांक 06.03.2026 को अन्य अधिवक्ता नियुक्त कर उनसे पत्रावली का मुआयना कराया और प्रश्नगत आदेश की नकल हेतु आवेदन किया, दिनांक 18.03.2026 को नकल प्राप्त हुई। जिसके बाद निगरानी तैयार कराके प्रस्तुत की। आवेदक ने जानबूझकर कोई विलंब नहीं किया है,अनुरोध किया कि धारा 5 परिसीमा अधिनियम का लाभ प्रदान कर निगरानी सुनवाई हेतु दर्ज की जाए।

3- विपक्षीगण की तरफ से आपत्ति का०स० 14 बी के माध्यम से तर्क रखे गए कि आवेदक को पूर्व से आदेश की जानकारी थी। उसके द्वारा जानबूझकर विलंब कारित किया गया है जोकि माफी योग्य नहीं है, अनुरोध किया कि प्रा०पत्र खण्डित किया जाए।

4- सदर मुसंरिम की आख्यानुसार प्रस्तावित निगरानी 364 दिवस विलम्ब से है।

5- यह सुस्थापित विधि है कि किसी भी मामले का निस्तारण यथासम्भव गुणदोष पर किया जाना चाहिए, तकनीकीपन पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए। आवेदक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि विपक्षी की ओर से विरोध में आपत्ति की गयी है और जहां तक विलंबवश विपक्षी को हुई असुविधा का प्रश्न है तो उसकी प्रतिपूर्ति हर्जे के माध्यम से अदा की जा सकती है, अतः न्यायहित में प्रार्थनापत्र 3 ए अन्तर्गत धारा-5 परिसीमा अधिनियम अंकन 1500/-(पंद्रह सौ रुपये) हर्जे पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

प्रार्थनापत्र 3 ए अन्तर्गत धारा-5 परिसीमा अधिनियम अंकन 1500/-(पंद्रह सौ रुपये) हर्जे पर स्वीकार किया जाता है और आपराधिक निगरानी दाखिल करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। बाद अदायगी हर्जा पत्रावली दिनांक 12.08.2026 को निगरानी के अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो।

तदनुसार आपराधिक प्रकीर्णवाद संख्या-936/2026 निस्तारित किया जाता है।

दिनांकः 06.08.2026

(नीरज कुमार **)**
सेशन न्यायाधीश
फर्रूखाबाद
JO Code-UP1907

Digitally signed by NEERAJ KUMAR
Date: 2026.08.06 16:37:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court